संख्या: 35/2023/001-2371224/12-2099/117/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण–101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण–05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–शो0एवममृ0सर्वे0/8/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2023-24, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण–101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण–05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम के योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित की गई धनराशि रूपये 402.00 लाख के सापेक्ष अधोलिखित मानक मदवार वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
02-मजदूरी	31.00	15.50
27-सब्सिडी	138.00	69.00
29-अनुरक्षण	10.00	6.00
42-अन्य व्यय	8.00	4.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	200.00	100.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00	7.50
योग	402.00	201.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा–निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
9. योजना के क्रियान्वयन के दौरान क्रय से सम्बान्धित प्रक्रियाओं/संगत शासनादेशों/नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
11. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
14. वर्तमान में प्रदेश में आदर्श चुनाव अचार संहिता प्रभावी है। अत: स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आदर्श चुनाव अचार संहिता का उल्लघंन तो नहीं हो रहा है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2402001010500 (जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	02 मजदूरी	15,50,000 (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)
2	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	27 सब्सिडी	69,00,000 (रुपये उनहत्तर लाख मात्र)
3	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम		मात्र)
6	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
		कुल		**2,01,00,000 (रुपये दो करोड़ एक लाख मात्र)**

महायोग	2,01,00,000 (रुपये दो करोड़ एक लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या: 35/2023/001-2371224/12-2099/117/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) -प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।